

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
मैनुअल संख्या-13		
1.	दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नियंत्रण आदेश-1992 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्रों सम्बन्धी विवरण।	1-4
2.	समिति निबंधन संबंधी विवरण	5
3.	समिति के पंजीकरण के संदर्भ में शुल्क निर्धारण	6
4.	समिति के पंजीकरण हेतु आवश्यक प्रपत्रों का विवरण	7-16

1. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नियंत्रण आदेश-1992 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्रों सम्बन्धी विवरण:-
कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं-

1.1 कार्यक्रम का नाम

- दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नियमन आदेश-1992

1.2 प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने)

- अनुज्ञापत्र

1.3 उद्देश्य

- प्रदेश में स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता के दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति।

1.4 लक्ष्य (विगत वर्ष में)

- दुग्ध अवशीतन केन्द्र एवं दुग्धशालाओं की स्थापना की मांग अनुसार अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है।

1.5 पात्रता

- समस्त अवशीतन केन्द्र एवं दुग्धशालाएं।

1.6 पात्रता का आधार

- ऐसे दुग्ध अवशीतन केन्द्र एवं दुग्धशालाएं जिनकी दैनिक हैण्डलिंग क्षमता 10 हजार लीटर से अधिक हो।

1.7 पूर्वापेक्षायें

- दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन नियमन आदेश 1992 में निहित स्वच्छता सम्बन्धी मानकों का पूर्ण करना आवश्यक है।

1.8 प्राप्त करने की प्रक्रिया

- अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड को निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। निरीक्षण दल द्वारा दुग्ध अवशीतन केन्द्र /दुग्धशाला का निरीक्षण किया जायेगा। स्वच्छता सम्बन्धी मानक पूर्ण पाये जाने की दशा में अनुज्ञापत्र निर्गत किये जायेंगे।

1.9 रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा

- अनुज्ञापत्र के लिए निर्धारित समय सीमा 90 दिन।

1.10 आवेदन शुल्क

आदेवन शुल्क— रू0 5,000.00
 1.11 आवेदन पत्र का प्रारूप:—

FIRST SCHEDULE
Application for registration
{See Sub-Paragraph(1) of Paragraph 5}

PART I

1. Name and Address of the applicant.
2. Names of the Managing Director, Proprietors, partners, Owners etc.
3. Address of the business/dairy plant and of all the establishments /premises owned or managed by the applicant.
4. Telephone Numbers/Gram/Telex
5. (a) Description of milk and milk products with quantities per year which the applicant is equipped to handle /control/process/manufacture. (Give Full details)
- (b) If already handling processing/controlling or manufacturing milk or milk product, the annual quantity of each product in the last three years.(Give separately for each year)
- (c) The quantity of each item of milk product proposed to be handled processed or manufactured.
6. Branches including chilling /collection centers.
7. Installed per day capacity of the dairy plant.
8. Total quantities of milk and each of the milk products handled or processed or controlled during the year.
9. Average quantity of milk per day to be used or handled.
 - (a) In lean season.
 - (b) In flush season.

PART II**DETAILED DESCRIPTION ABOUT COLLECTION OF MILK**

1. Geographical area proposed for the milk collection.
2. Number of districts and villages from where the milk will be collected.
3. Number of breed-wise milch cows, buffaloes, sheep or goat, district-wise in the area.
4. District map showing taluka/Tehsil boundaries and major roads/rail roads etc.
5. A brief description about the existing milk procurement, processing and marketing facilities.
6. Milk producers' cooperative societies/union etc- total and functional in the area of operation.
7. Number of dairy plants- public/private in the area of operation.
8. Any other developmental program.
9. Input services provided to the farmers/proposed to be provided for milk production enhancement.

I/we hereby undertake to comply with all the provisions of the milk land milk product Order 1992.

Please find forwarded herewith the prescribed registration fee.

I/We declare that the facts stated herein above and the particulars given in Parts II and I are true and correct.

Place:
Date :

Signature(s) of the applicant(s)

1.12 अनुज्ञापत्रों के प्राप्तिकर्ताओं की सूची :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	वल्दियत	निवास			
				जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मकान नं
डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड	1.मैसर्स उत्तराखण्ड डेरिज	06-1-07	-	उधमसिंहनगर	काशीपुर	बेलजूरी	219-ए
	2.मदुरा एग्रो फूड इन्डस्ट्री	06-1-07	-	हरिद्वार	रानीपुर	सिडकुल	146-149, सेक्टर-2

2. समिति निबन्धन संबंधी कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं—

2.1 कार्यक्रम का नाम

- दुग्ध सहकारी समितियों का निबन्धन।

2.2 प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने)

- प्राधिकार

2.3 उद्देश्य

- दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं दुग्ध सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देना।

2.4 लक्ष्य (विगत वर्ष में)

- प्रदेश में गठित विभिन्न दुग्ध सहकारी समितियों का निबन्धन, समितियों से निर्धारित निबन्धन प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात किया जाता है।

2.5 पात्रता

प्रदेश में प्रस्तावित रूप से कार्यरत ऐसी दुग्ध सहकारी समिति जो स्वालम्बी होने योग्य है उन्हें निबन्धित किया जाना है।

2.6 पात्रता का आधार

- दुग्ध समिति में सामान्यतः 30 सदस्यों की भागीदारी आवश्यक है।
- दुग्ध समिति आर्थिक रूप से स्वाबलम्बी ईकाई हो अथवा स्वाबलम्बी होने की पूर्ण सम्भावना हो।

2.7 पूर्वापेक्षाएँ

- दुग्ध समिति की कार्य प्रणाली आनन्द प्रणाली के अनुरूप हो।

2.8 प्राप्त करने की प्रक्रिया

- दुग्ध सहकारी समितियों का निबन्धन कराये जाने हेतु निबन्धन प्रस्ताव जनपदीय सहायक निदेशक डेरी विकास के माध्यम से उपनिदेशक डेरी विकास कैम्प कार्यालय देहरादून को उपलब्ध कराये जाते हैं।

2.9 रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा

- प्राधिकार के लिए निर्धारित समय सीमा 30 दिन।

2.10 आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क— रू0 500.00

नोट:— डेरी विकास विभाग द्वारा विभिन्न दुग्ध सहकारी समितियों को जारी किये गये प्राधिकार का जनपदवार विवरण संलग्न है।

.....

3. समिति के पंजीकरण के संदर्भ में शुल्क निर्धारण

उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली-2004 के नियम 395. (घ) के अनुसार—“इस नियम के अधीन दस्तावेज के प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दर से शुल्क लिया जायेगा—

1. किसी सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए
प्रार्थना पत्र 50 /—रु०
2. किसी सहकारी समिति के लिए पंजीकरण का
प्रमाण पत्र 50 /—रु०
3. किसी सहकारी समिति की पंजीकृत उपविधियाँ 5 /—रु० प्रति पृष्ठ
किन्तु कम से कम 100 रूपये
4. किसी सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन 10 /—रु० प्रति संशोधित
उपविधि किन्तु कम से कम 50 /—रु०
5. कोई अन्य दस्तावेज 2 /—रु० प्रति पृष्ठ
किन्तु कम से कम 25 /—रु०”

समितियों के निबंधन प्रपत्र के शुल्क एवं प्राप्ति के संदर्भ में उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली-2004 के नियम 3 एवं नियम 4 (1) में भी उल्लेख किया गया है, जो निम्नवत् है—

नियम 3.:—“किसी समिति के पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र उक्त प्रयोजन के लिए निबंधक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में दिया जायेगा। प्रपत्र-क में प्रार्थना-पत्र के साथ 50 /—रुपये का शुल्क देने पर ऐसा प्रपत्र जिला सहायक निबंधक से प्राप्त किया जा सकेगा।”

नियम 4. (1):—“नियम 3 में निर्दिष्ट पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र के साथ ऐसी आदर्श (मॉडल) उपविधियों की चार प्रतियाँ, जो प्रस्तावित समिति के लिए उपयुक्त हों, जिला सहायक निबंधक से 100 /—रुपये प्रति, प्रति का भुगतान करके प्राप्त की जा सकेगी। यदि ऐसी आदर्श उपविधियाँ उपलब्ध न हों, तो प्रार्थी अपनी प्रस्तावित उपविधियाँ बना सकता है।”

4. दुग्ध समिति निबंधन हेतु आवश्यक प्रपत्रों का विवरण

1. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के निबन्धन हेतु निर्धारित प्रार्थना-पत्र पूर्ण रूपेण स्पष्ट रूप से भरा हुआ।
2. सामान्य निकाय बैठक के कार्यवृत्त की सत्यप्रति प्रमाणित।
3. दुग्ध संघ से प्राप्त हिस्सा प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
4. निर्धारित शुल्क रू0 500.00 का ट्रेजरी चालान की प्रमाणित छायाप्रति।
5. पिछले छः माह का समिति स्तर पर दुग्ध मात्रा एवं पोरर सदस्यता।
6. जनपदीय विभागीय अधिकारी द्वारा प्रदत्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रमाण पत्र।
7. दुग्ध समिति की प्रचलित उपविधियां चार प्रतियों में। (उपविधियों के अन्तिम कवर पृष्ठ के आन्तरिक भाग में तदर्थ प्रबंध कमेटी व अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं दुग्ध समिति की मुहर तथा उपविधियों के प्रत्येक पृष्ठ पर सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षर व मुहर अनिवार्य हैं।)
8. ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कि क्षेत्र में एक ही समिति है।
9. बैंक द्वारा प्रदत्त पिछले छः माह का स्टेटमेंट।
10. दुग्ध समिति का अद्यावधिक सन्तुलन पत्र।

कार्यवाही बैठक सामान्य निकाय (प्रस्तावित)

प्रस्तावित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0.....

जनपदीय दुग्ध संघ जनपद.....

बैठक का दिनांक..... बैठक का समय..... बैठक का स्थान.....

उपस्थिति

सर्व सुश्री

1.	16.	31.	46.
2.	17.	32.	47.
3.	18.	33.	48.
4.	19.	34.	49.
5.	20.	35.	50.
6.	21.	36.	51.
7.	22.	37.	52.
8.	23.	38.	53.
9.	24.	39.	54.
10.	25.	40.	55.
11.	26.	41.	56.
12.	27.	42.	57.
13.	28.	43.	58.
14.	29.	44.	59.
15.	30.	45.	60.

प्रस्ताव संख्या-01

ईश वन्दना पर विचार।

सर्व सम्मति से सामूहिक रूप से ईश वन्दना की गई।

प्रस्ताव संख्या-02

आज की बैठक के लिये सभापति

सर्व सम्मति से सुश्री.....

पत्नी/पुत्री सुश्री.....

को आज की बैठक में सभापति चुना गया।

प्रस्ताव संख्या-03

मुख्य प्रवर्तक के चुनाव पर विचार

सर्व सम्मति से सुश्री.....

पत्नी/पुत्री सुश्री.....

को इस प्रस्ताव दुग्ध समिति का मुख्य प्रवर्तक चुना जाता है।

प्रस्ताव संख्या-04

तदर्थ कमेटी के सदस्यों के चुनाव पर विचार

सर्वसम्मति से प्रस्तावित दुग्ध समिति हेतु निम्न तदर्थ कमेटी के सदस्यों का चुनाव किया गया।

1. सुश्री

पत्न/पुत्री श्री

		2. सुश्री	पत्न/पुत्री श्री
		3. सुश्री	पत्न/पुत्री श्री
		4. सुश्री	पत्न/पुत्री श्री
		5. सुश्री	पत्न/पुत्री श्री
		6. सुश्री	पत्न/पुत्री श्री
		7. सुश्री	पत्न/पुत्री श्री
		8. सुश्री	पत्न/पुत्री श्री
		9. सुश्री	पत्न/पुत्री श्री
प्रस्ताव संख्या-05	सभापति के चुनाव पर विचार	सर्वसम्मतिसे सुश्री.....	पत्नी/पुत्री सुश्री.....
		को समिति का सभापति चुना गया।	
प्रस्ताव संख्या-06	सचिव (प्रथम) हस्ताक्षरी की नियुक्ति पर विचार	सर्वसम्मति से सुश्री.....	पत्नी/पुत्री सुश्री.....
		को समिति का सचिव चुना गया।	
प्रस्ताव संख्या-07	प्रस्तावित दुग्ध समिति का कार्यक्षेत्र निर्धारित करने पर विचार	सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि सहकारी दुग्ध उत्पादन समिति	का कार्यक्षेत्र..... तक रहेगा।
प्रस्ताव संख्या-08	समिति का कार्यालय एवं पता निर्धारित करने पर विचार	सर्वसम्मति से तय पाया गया कि हमारी समिति का कार्यालय एवं पता निम्न प्रकार होगा।	पोस्ट विकासखण्ड थाना तहसील जनपद
प्रस्ताव संख्या-09	समिति के लिये उपविधियां अपनाने पर विचार	डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्मित आदर्श उपविधि को पढ़कर सुनाया गया, अग्रीकृत किया गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।	
प्रस्ताव संख्या-10	समिति के हिसाब किताब एवं कार्यवाही के लिये लिपि निर्धारित करने पर विचार	सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि समिति का हिसाब-किताब तथा कार्यवाही आदि हिन्दी भाषा में (देवनागरी लिपि) में रखा जायेगा।	
प्रस्ताव संख्या-11	समिति के पास अधिक से अधिक तहबील रखने की धनराशि निश्चित करने पर विचार	सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि समिति को तहबील सुश्री.....सचिव के पास रहेगी और वह अपने पास 50.00 मात्र से अधिक तहबील नहीं रखेंगे, इससे अधिक होने पर बैंक में जमा करेंगे।	
प्रस्ताव संख्या-12	सदस्यों के हित की कीमत निश्चित एवं वसूल करने पर विचार	सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि अग्रीकृत उपविधि के अनुसार प्रत्येक हिस्से का मूल्य बीस रुपये को अनिवार्य रूप से एक हिस्सा खरीदना होगा।	
प्रस्ताव संख्या-13	उपविधियों एवं निबन्धन सम्बन्धी कागजातों में काटपीट कर हस्ताक्षर करने का अधिकार देने पर विचार	सर्वसम्मति से उपविधियों एवं निबन्धन सम्बन्धी कागजातों में काटपीट कर हस्ताक्षर करने का अधिकारी सुश्री.....सचिव को दिया जाता है।	
प्रस्ताव संख्या-14	समिति के प्राथमिक सदस्य से हिस्सा एवं प्रदेश शुल्क की वसूली पर विचार।	सर्वसम्मति से निम्नांकित प्राथमिक सदस्यों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि हिस्से एवं प्रवेश शुल्क के रूप में वसूल की गई।	
क्र० सं०	नाम सदस्य	पति/पिता का नाम	धनराशि हिस्सा प्रवेश शुल्क योग
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.

प्रस्ताव संख्या-15.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, का
सदस्य बनने व हिस्सा खरीदने पर विचार

सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि हमारी समिति
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० से अनुरोध करती है
कि वह हमारी समिति को निबन्धन पश्चात् सदस्य
बनाने की कृपा करें। समिति दुग्ध संघ की उपविधियों
के अनुसार अंशधन व प्रत्येक शुल्क जमा करने को
तैयार है।

प्रस्ताव संख्या-16

तहबील की जांच पर विचार।

सर्वसम्मति से तहबील की जांच की गई और रू० 50.00
(शब्दों में) पचास सुश्री.....सचिव के पास
मौजूद पाई गई।

प्रस्ताव संख्या-17

समिति को रजिस्ट्र करवाने पर विचार

सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि नियमानुसार
निबन्धन प्रार्थना पत्र निबन्धक सम्बन्धी अन्य कागजात
एवं उपविधियां आदि तीन प्रतियों में निदेशक/निबन्धक
दुग्ध सहकारी समितियां, डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड को उचित माध्यम द्वारा निबन्धन हेतु भेज
दिया जाये तथा उनसे निवेदन किया जाता है कि
हमारी समिति का निबन्धन शीघ्र से शीघ्र कर दें। इस
सम्बन्ध में अधिकारी से वार्ता एवं सम्पर्क करने हेतु
सुश्री.....सचिव को अधिकृत किया जाता है।

सत्य प्रति प्रमाणित

ह० संगठनकर्ता

ह० महिला प्रसार कार्यकर्ता

ह० सचिव

ह०सभापति

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के निबन्धन हेतु प्रार्थना-पत्र

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम-2003 के नियम सं0 11(2004) की धारा 6 के अन्तर्गत प्रस्तुत

1. प्रस्तावित समिति का नाम.....
2. प्रस्तावित समिति का मुख्यावास.....
 - (क) ग्राम/कस्बे का नाम.....
 - (ख) विकास क्षेत्र.....
 - (ग) तहसील.....
 - (घ) डाकखान
 - (ङ) जिला
 - (च) समीपवर्ती रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन
3. समिति किस श्रेणी की है:-
 - (क) शीर्षस्थ.....
 - (ख) केन्द्रीय अथवा प्रारम्भिक.....
 - (ग) कृषि अथवा नागर
4. समिति के सदस्यों का दायित्व होगा:-
 - (अ) समिति :
 - (1) अंशों के अंकित मूल्य तक
 - या
 - (2) बिना अंशों के
 - या
 - (ब) अंशों के गुणित तक समिति.....
 - या
 - (स) असीमित.....
5. प्रस्तावित समिति का कार्य क्षेत्र.....
6. प्रस्तावित समिति का उद्देश्य
- {सन्दर्भ – नियम 15 (3)}
7. उपविधियों के अनुसार निर्गतिम (इश्यू) किये जाने वाले अंशों की संख्या व मूल्य यदि कोई निर्धारित किया गया हो
8. प्रत्येक अंश का मूल्य एवं किस्त जिसके द्वारा अंश का भुगतान करना है।
9. सदस्यता के लिये अर्हतायें।
10. उन व्यक्तियों की संख्या जा साधारण सदस्यों के रूप में प्रस्तावित समिति की सदस्यता ग्रहण करने के लिये सहमत है.....
11. भाषा जिसमें प्रस्तावित समिति के लेखे रखे जायेंगे।
 - (2) :- टिप्पणी :- संख्या नं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 की प्रविष्ट के सामने संबद्ध उप विधि का भी उद्धरण कीजिये
12. समिति का पूरा नाम व पता –
 - (अ) प्रस्तावित सचिव (प्रथम हस्ताक्षरी)
 - (ब) मुख्य प्रवर्तक
13. समिति का पूरा डाकखाने का नाम
14. उन व्यक्तियों के नाम जो कि तदर्थ समिति के सदस्य चुने गये है जो कि प्रस्तावित समिति के कार्यकलापों का संचालन समिति के निबन्धन के तिथि से 90 दिनों तक की अवधि तक अथवा बढ़ायी गयी ऐसी अवधि तक जिसके लिये निबंधक द्वारा लिखित रूप में आज्ञा दी गयी हो, करेगी।

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	कार्यालय
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

15. उपरोक्त वर्णित समिति के निबन्धन हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ताओं, जिनके नाम व पते एवं हस्ताक्षर तथा अन्य विवरण निम्न प्रकार है, द्वारा प्रथम पत्र भर दिया गया है। हम अधोहस्ताक्षरकर्ता यह घोषणा करते है कि हम प्रस्तावित समिति में सम्बन्धित रहने की अवधि में अधिनियम, नियमों तथा समिति की उप विधियों के प्रावधानों का पालन करते रहेंगे।

क्र० सं०	प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	व्यवसाय/पेशा	निवास गांव डाक/जिला	ह०/अंगूठा
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षरकर्ताओं ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं और मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षर

मुख्य प्रवर्तक

भाग-2

क्र० सं०	निर्गमित निकाय का नाम	पंजीकरण की संख्या व तिथि	उसके प्रतिनिधियों के नाम	प्रतिनिधि की आयु	प्रतिनिधि के पिता का नाम	उसका निवास स्थान			प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	प्रस्ताव या अधिकार का संदर्भ जो सं०-4 में वर्णित व्यक्ति के संबंध में है।
						गांव	डाकखाना कसबा	जिला		
1	2	3	4	5	6	7	7अ	7ब	7स	8

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर्ताओं ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं और मैं उनको जानता हूँ।

मुख्य प्रवर्तक

संलग्नक:-

1. कॉलम नं० 14 में दिये गये तदर्थ समित के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, पस्तावित उप-विधियों की तीन प्रतियां।
2. सम्पूर्ण

निबन्धन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना-पत्र को तैयार करने हेतु आवश्यक निर्देश:-

1. प्रपत्र भाग- 1 के कम संख्या 1 पर उस व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर होंगे जो समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हो। (निमय-5)
2. मुख्य प्रवर्तक उन हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक होगा जिससे निबंधक, निबन्धन प्रस्ताव के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार करेंगे।
3. ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थी कोई समिति का हों, समिति की ओर से प्रार्थना-पत्र हस्ताक्षर करने के लिये समिति के सदस्यों को अधिकृत करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि भी निबन्धन हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जाय।
4. यदि प्रस्तावित समिति कोई केन्द्रीय समिति है और प्रवर्तकों में कोई निगमि निकाय भी सम्मिलित है जैसा कि धारा-17 के उप खण्ड (ख) और (च) में दिया गया है तो ऐसे निकाय की ओर से, निबन्धन हेतु दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र, प्रपत्र भाग-2 में निकाय के प्रतिनिधि अथवा प्रत्यायुक्त द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
5. भाग-1 या 2 को काट दें, उनमें से जो लागू न हो।
6. भाग 2 ये स्तम्भ 8 के अन्तर्गत केवल वही प्रत्यायुक्त अथवा प्रतिनिधि हस्ताक्षर करने का पत्र होगा जो नियम 80 अथवा 84 के अनुसार नियुक्त किया गया हो।
7. निबन्धन हेतु दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र से सम्बद्ध अधिनियम व नियमों के प्राविधान सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु नीचे दिये हुये हैं:-

धारा 6:-(1) समिति के निबन्धन के लिये प्रार्थना पत्र निबंधक को नियत रीति से ऐसे प्रपत्र में दिया जायेगा जो निबन्धक समय-समय पर निर्दिष्ट करें, तथा प्रार्थी समिति के सम्बन्ध में उसे ऐसी समस्त सूचना देंगे जिसकी व अपेक्षा करें।

(2) ऐसे प्रत्येक प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति की जायेगी, अर्थात् -

(क) इसके साथ प्रस्तावित उप-विधियों की तीन प्रतियां होंगी,

(ख) प्रार्थी धारा 17 के अधीन सदस्यता का पात्र हो,

(ग) प्रार्थना पत्र पर प्रत्येक ऐसे प्रार्थी के यदि वह व्यक्ति विशेष हो, और किसी यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति के यदि प्रार्थी द्वारा धारा - 16 खण्ड (ख) के किन्ही भी खण्डों में उल्लिखित कोई व्यक्ति हो, यथाविधि हस्ताक्षर होंगे।

(घ) ऐसे प्रार्थियों की संख्या, जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि समस्त प्रार्थी व्यक्ति विशेष हों, तो तीस से कम न होगी।

(ङ) यदि समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत उसके सदस्यों को ऋण देने के लिये निधियों का सृजन करना भी हो तो समस्त प्रार्थी, जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि वे व्यक्ति विशेष हों तो एक ही गांव अथवा नगर अथवा आसन्नवर्ती गांव के समूह में रहते हों अथवा एक ही वर्ग के हों।

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये उसके सदस्यों को ऋण देने के लिये किन्ही दो या अधिक व्यक्तियों को एक ही वर्ग मा माना जायेगा यदि वे एक ही व्यवसाय करते हों अथवा एक ही सेवायोजक के अधीन हों।

नियम 80 - यदि कोई सहकारी समिति किसी अन्य समिति से सम्बद्ध हो तो पूर्ववर्ती समिति पश्चात्पूर्व समिति के सामान्य निकाय में प्रतिनिधियों के रूप में अथवा प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि पूर्ववर्ती समिति के सामान्य निकाय सदस्य न हों और उनमें प्रतिनिधियों के लिये नियमों में निर्धारित कोई अनर्हता न हो, प्रतिबंध यह भी है कि पूर्ववर्ती समिति के सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितनी पश्चात्पूर्व समिति की उप विधियों में निर्धारित हो।

नियम 84 - यदि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, राज्य गोदाम निगम, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट - 1960 के अधीन निबद्ध कोई समिति, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध या निर्गमित कोई कम्पनी या अन्य नियमित निकाय, किसी सहकारी समिति का सदस्य हो तो वह समिति के सामान्य निकाय में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये अपने प्रतिनिधि के रूप में सक्षम प्राधिकारी के आदेश से या सामान्य निकाय, कार्यकारिणी समिति के किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के, जैसी भी दशा हो, संकल्प से किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।

विभागीय अधिकारी का प्रतिवेदन

रूप पत्र (स)

1. विभागीय अधिकारी ने कब स्थानीय जांच की।
2. क्या विभागीय अधिकारी समिति के सदस्यों की जानकारी और उत्सुकता से सन्तुष्ट है, और समिति की सफलता की आशा रखते हैं।
3. क्या प्रस्तावित कार्यकारिणी में समिति के कार्य संचालक की योग्यता है।
4. क्या समिति को अपने कार्य संचालन के लिए आवश्यक पूंजी सदस्यों लाभ केन्द्रीय सम्बन्ध समिति से प्राप्त होगी।
5. दुग्ध समिति के कितने प्रतिशत परिवार सम्मिलित होने के उद्दत्त हैं।
6. अन्य विशेष विवरण।

ह0 विभागीय अधिकारी

मैं.....की रिपोर्ट में प्रस्तावित अभिलेखों समिति के निबन्धन अभिलेखों और विभागीय अधिकारी की जांच से सन्तुष्ट हूँ। समिति निबन्धन के योग्य है, अतएव इसके निबन्धन की संस्तुति की जाती है।

सहायक निदेशक
डेयरी विकास उत्तराखण्ड

**कार्यालय मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी (उत्तरा0) दुग्धशाला विकास,
उ0प्र0 श्रीनगर-गढ़वाल कैम्प अल्मोड़ा**

पत्रांक सी-377 / निबन्धन / समिति / 96-97

दिनांक 17 सितम्बर, 1996

समस्त प्रबन्धक / प्रधान प्रबन्धक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,
उत्तराखण्ड जनपद देहरादून।

माह अगस्त 1996 से उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में मेरे द्वारा सहकारी दुग्ध समितियों का भ्रमण/निरीक्षण किया गया। समिति के निबन्धन की समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि एक वर्ष पूर्व से समितियां कार्य कर रही हैं लेकिन उनका निबन्धन नहीं कराया गया है जिसके कारण समिति को संघ द्वारा उत्पादकों को सामयिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि सचिवों का वेतन तक नहीं मिल रहा है इस प्रकार बिना वेतन के कौन सचिव कार्य करने को तैयार होगा जिसका विपरीत प्रभाव समिति की कार्य संचालन में पड़ रहा है। यहां तक कि महिला डेरी की कई समितियों में भी 6-8 महीने से वेतन नहीं दिया गया है और निबन्धन के अभाव में कैटिल फीड पर मिलने वाला अनुदान भी नहीं दिया जा रहा है जिससे जिस उद्देश्य के लिए योजनाएं लागू की जाती हैं। उनका लाभ समितियों को नहीं मिलता है। और इसका प्रभाव समिति के कार्यसंचालन, दुग्ध उपार्जन भी प्रभावित होता है।

निबन्धन की समीक्षा करने पर पाया गया कि नई उप विधियां उपलब्ध न होने के कारण यह विलम्ब हो रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में मेरे द्वारा आयोजित बैठक में सभी इकाई प्रभारियों को अवगत करा दिया गया था कि नई उप विधियां पर्याप्त मात्रा में लालकृआं दुग्ध संघ में उपलब्ध हैं जिन्हें आवश्यकता हो वह वहां से क्य कर सकते हैं।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि यूनिट प्रभारियों द्वारा पुरानी उप विधियों पर कागजात क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी को उपलब्ध कराये गये हैं और अब वे नई उप विधियों पर प्रस्ताव तैयार कर क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी भी यह सुनिश्चित करें कि जैसे ही नई/पुरानी उपविधियों पर समिति के कागजात निबन्धन हेतु प्राप्त हो तत्काल निबन्धन कर दें।

समिति के निबन्धन हेतु सहकारी दुग्ध अधिनियम 1965 तथा नियमावली 1968 में प्राविधानित है कि किसी भी दुग्ध समिति को निबंधित करने के लिए उस समिति में उत्पादक सदस्यों की संख्या 30 होनी चाहिए, निरीक्षण के दौरान यह भी देखने में आया कि यदि समिति में 30 सदस्यों का कोरम पूरा नहीं होता है और समिति आनन्द पद्धति पर सही ढंग से कार्य कर रही है तो भी उसका निबन्धन नहीं हो पाता है और वह समिति शासकीय लाभ से वंचित रह जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मैं **मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी/निबन्धक की हैशियत से 30 सदस्यों में छूट प्रदान की जाती है अब यदि समिति में 15 अथवा उससे अधिक उत्पादक सदस्य हैं तो उसका निबन्धन कर दिया जाय।** इस प्रकार संघ/म0डे0वि0 में 30 सदस्यों का लक्ष्य पूरा हो जायेगा क्योंकि जो लाभ समितियों को निबन्धन न होने के कारण नहीं मिल रहा था व मिल जायेगा जिससे सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि होगी। इसी तरह से जैसे चारा नर्सरी के कई जगह लक्ष्य पूरे नहीं किये गये हैं। वे भी पूरे हो जायेंगे और क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी जनपदीय बैठक में इसकी समीक्षा करेंगे जिससे उत्पादकों को जो अनुदान नहीं मिल रहे हैं उन्हें उपलब्ध कराये जा सकें।

क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी अपनी मंडलीय बैठकों में इसकी समीक्षा करेंगे और इन इन बैठकों की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी भेजी जाय।

ह0/-

(डा0आर0सी0मिश्र)

मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी(उत्तरा0)
दुग्धशाला विकास, उ0प्र0

पत्रांक सी-377 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) समस्त उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 उत्तराखण्ड जनपद.....
- (2) सहायक प्रबन्धक, महिला डेरी परियोजना, उत्तरा0
- (3) क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 श्रीनगर-गढ़वाल एवं हल्द्वानी (नैनीताल)।
- (4) निदेशक, महिला डेरी विकास (उत्तरा0) अल्मोड़ा।
- (5) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।

ह0/-

(डा0आर0सी0मिश्र)

मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी(उत्तरा0)
दुग्धशाला विकास, उ0प्र0

कार्यालय निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांक:सी-01 / दु0समिति / निबन्धन पत्रा0 / 2008-09

दिनांक 03 अप्रैल, 2008

समस्त प्रबन्धक / प्रधान प्रबन्धक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,
.....।

विषय:—नई दुग्ध समितियों के निबन्धन प्रपत्रों में संलग्न ट्रेजरी चालान लेखा शीर्षक में भिन्नता विषयक।

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक सी-131 दिनांक 07 मई, 2005 का अवलोकन करना चाहेंगे, जो दुग्ध सहकारिताओं के निबन्धन हेतु ट्रेजरी चालान लेखा शीर्षक आंक्टन के सम्बन्ध में है। किन्तु प्रायः देखने में आ रहा है कि समितियों के निबन्धन प्रपत्रों के साथ संलग्न ट्रेजरी चालान का लेखा शीर्षक भिन्न-भिन्न अंकित कर प्रेषित किये जा रहे हैं, जिससे ट्रेजरी चालान त्रुटिपूर्ण होने के कारण समितियों के निबन्धन में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः दुग्ध सहकारी समितियों के निबन्धन हेतु ट्रेजरी चालान जमा करने हेतु लेखा शीर्षक का विवरण निम्नानुसार है:—

0404—डेरी विकास
800—अन्य प्राप्तियां
09—अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां

0	4	0	4	8	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

अतः भविष्य के लिए निर्देशित करना है कि निबन्धन हेतु ट्रेजरी चालान पर उक्त लेखा शीर्षक अंकित करना सुनिश्चित करें।

ह0 / —

(संजय उपाध्याय)

उप निदेशक

पत्रांक:सी-01 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. समस्त सहायक निदेशक, डेरी विकास, उत्तराखण्ड,.....।
2. उपनिदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड, नोडल कार्यालय श्रीनगर-गढ़वाल।

ह0 / —

(संजय उपाध्याय)

उप निदेशक